मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल (कैबिनेट)

प्रदोष कुमार

साधारणतया लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है और इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। मंत्रीपरिषद प्रोफेसर ऑग के अनुसार," *एक बृहत संस्था होती है इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं और लोक सदन के प्रति उत्तरदाई होते हैं और जो तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि लोक सदन में उसको बहुमत प्राप्त हो* ।" लेकिन मंत्रिमंडल जैसा कि ' रैमज म्योर कहते हैं *मंत्री परिषद का हृदय है, शासन का परिचालन यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं, साथ ही कुछ प्राचीन तथा प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी भी इस प्रकार मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद रूपी चक्र का आंतरिक चक्र कहा जा सकता है।*

मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अन्तर निम्न रूप में स्पष्ट किए जा सकते हैं:-

1. आकार संबंधी:- मंत्रिमंडल का आकार मंत्री परिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है मंत्रिपरिषद में समानता 70 से लेकर 90 सदस्य होते हैं किंतु मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18 से 22 होती है
2. पद संबंधी :- दोनों का दूसरा महत्वपूर्ण अंतर पद संबंधी है समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है और इसमें कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं जैसे a. मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं इसमें कुछ किन्ही विशेष विभागों के प्रधान होते हैं और कुछ बिना विभाग के मंत्री होते हैं , b. मंत्रीमंडल स्तरीय के वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के स्थाई सदस्य नहीं होते हैं वरन मंत्रिमंडल की इन्हीं बैठकों में शामिल होते हैं। जिन्हें उनके विभाग से संबंधित विषयों पर विचार किया

Scanned with CamScanner

जाना हो c. अन्य मंत्री d. राज्यमंत्री e. संसदीय समिति f. जूनियर लॉर्ड g.संसदीय निजी सचिव आदि।

मंत्रीपरिषद के सदस्यों विभिन्न श्रेणियों में से केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं ।प्रथम श्रेणी के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इस प्रकार मंत्री परिषद का सदस्य होता है मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल में सदस्यों का पद अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च होता है।

3. वेतन संबंधी अंतर:- कैबिनेट के सदस्यों को मंत्री परिषद के सदस्यों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होता है।
4. कार्य और शक्ति संबंधी अंतर :-मंत्रीमंडल के सदस्यों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सरकार और शक्ति से संबंधित होता है। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल (केबिनेट) के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य कम महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतया विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं ।उनके द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के संबंध में नीति का निर्धारण किया जाता है। और उनके द्वारा विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होता है।

उपर्युक्त अंतरों के बावजूद मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र ना केवल मंत्रिमंडल की बल्कि समस्त मंत्रीपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है और लोक सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है।

मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति

Scanned with CamScanner

सम्राट प्रथम के समय से ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता और अब मंत्रिमंडलीय पद्धति का एक स्वीकृति सिद्धांत बन गया है। मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापति प्रधानमंत्री ही करता है जब संसद का अधिवेशन हो रहा हो तब मंत्रिमंडल की सप्ताह में दो बार बैठकें होती हैं और जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो सप्ताह में एक बार बैठक होती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री भी आवश्यकता अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक बुला सकते हैं। यह कार्यक्रम परराष्ट्र नीति और प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित अन्य विषयों के संबंध में बैठक में विचार किया जाता है। अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए मंत्रिमंडल के द्वारा अनेक स्थाई और अस्थाई समितियों का निर्माण किया जाता है। मंत्रिमंडल की सहायता और वास्तविक प्रशासन के संचालन के लिए एक *मंत्रिमंडलीय सचिवालय* होता है।

Scanned with CamScanner